

अंतर-देशीय अभभावकीय बाल अपहरण : हेग कन्वेंशन के प्रमुख सदिधांत पर केंद्रीय पैनल को आपत्ति

चर्चा में क्यों ?

अंतर-देशीय अभभावकीय बाल अपहरण के मुद्दे पर एक रिपोर्ट तैयार करने हेतु केंद्र द्वारा गठित किये गए पैनल ने हेग कन्वेंशन के बुनियादी सदिधांतों में से एक पर सवाल उठाया है। इस पैनल का कहना है कि बच्चे की अपने अभ्यस्त नवास (habitual residence) पर वापसी उसके सर्वोत्तम हति में हो, यह कतई आवश्यक नहीं है।

प्रमुख बदि

- भारत पर अमेरिका द्वारा 'अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं पर हेग कन्वेंशन में शामिल होने का दवाब बनाया जा रहा है।
- पैनल का मानना है कि अभ्यस्त नवास की अवधारणा बच्चे के सर्वोत्तम हति के साथ तुल्यकालिक (synchronous) नहीं है।
- इसका मानना है कि बच्चे की अनविद्यतः अभ्यस्त स्थान पर वापसी, उसे गैर-सौहार्दपूर्ण माहौल में धकेल सकती है।
- पैनल ने बच्चों के हतियों के साथ ही माता-पिता, विशेष रूप से माताओं की सुरक्षा के लिये एक मसौदा कानून भी तैयार किया है।
- प्रस्तावित मसौदा कानून में नौ अपवाद दिये गए हैं, जिनके अंतर्गत बच्चे को उसके अभ्यस्त नवास वाले देश में वापस नहीं लौटाया जाएगा।
- जनि महत्त्वपूर्ण परस्थितियों में बच्चे की वापसी से इनकार किया जा सकता है, वे हैं – बच्चे का सर्वोत्तम हति, घरेलू हिंसा या मानसिक या शारीरिक क्रूरता या उत्पीड़न के कारण बच्चे के साथ भागा परजिन (माता या पिता), उस परजिन द्वारा बच्चे की कस्टडी की मांग जो बच्चे को उसके पास से हटाए जाने के समय कस्टडी अधिकारियों का उपयोग नहीं कर रहा था और बच्चे को वापस भेजने की स्थिति में शारीरिक या मनोवैज्ञानिक नुकसान का गंभीर जोखिम।
- पैनल ने बच्चे के सर्वोत्तम हति को सुनिश्चित करने के लिये 'भारतीय परिवार प्रणाली' के महत्त्व पर ज़ोर दिया है।
- पैनल द्वारा जारी रिपोर्ट में एक अंतर-देशीय अभभावक बाल निकासन विवाद समाधान प्राधिकरण (Inter-Country Parental Child Removal Disputes Resolution Authority) के गठन की भी मांग की है, जो बच्चे की कस्टडी पर नरिणय लेने हेतु नोडल एजेंसी होगा। साथ ही यह विवाद में शामिल पक्षों के बीच मध्यस्थता भी करेगा एवं बच्चे की अभ्यस्त नवास वाले देश में वापसी हेतु आदेश भी देगा।
- जस्टिस राजेश बदिल समिति या पैनल की स्थापना पछिले वर्ष की गई थी। इसे बच्चे के हतियों की रक्षा हेतु मॉडल कानून सुझाना था।
- सरकार से यह उम्मीद की जा रही है कि जब भी वह प्राधिकरण के गठन का नरिणय लेगी, तो वह इस बात पर भी नरिणय लेगी कि भारत को हेग कन्वेंशन में शामिल होना चाहिये या नहीं।
- 2016 में सरकार ने हेग संधि पर इस आधार पर हस्ताक्षर न करने का फैसला किया था कि यह उन महिलाओं के लिये हानिकारक हो सकता है जिन्होंने अपमानजनक शादी (abusive marriage) से पलायन किया है।

क्या है हेग कन्वेंशन?

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो उन बच्चों की त्वरित वापसी को सुनिश्चित करती है, जिनका "अपहरण" (abduction) कर उन्हें उस जगह पर रहने से वंचित कर दिया गया है, जहाँ वे रहने के अभ्यस्त हैं।
- इस संधि का केंद्रबिंदु 'अभ्यस्त नवास' का मानदंड है, जिसका प्रयोग यह नरिधारित करने के लिये किया जाता है कि क्या वाकई किसी बच्चे को उसके किसी एक परजिन द्वारा दूसरे परजिन के पास से गलत तरीके से हटाया गया है।
- अमेरिका और यूरोपीय देशों के दबाव के बावजूद, भारत ने अभी तक इस कन्वेंशन की पुष्टि नहीं की है। कन्वेंशन के तहत, हस्ताक्षर करने वाले देशों को उनके अभ्यस्त नवास स्थान से गैरकानूनी ढंग से निकाले गए बच्चों का पता लगाने और उनकी वापसी को सुनिश्चित करने के लिये एक केंद्रीय प्राधिकरण का नरिमाण करना होगा।
- मान लिया जाए कि किसी देश ने हेग कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कर रखा है और इस मसले पर उस देश का अपना कानून कोई अलग राय रखता हो, तो भी उसे कन्वेंशन के नयियों के तहत ही कार्य करना होगा।

